तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री विरेन्द्रसिंह राठौड, अभिभाषक प्रार्थी । श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–2–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिनके द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि मूल वाद कृषि भूमि के बंटवारे के सबंध में है तथा बंटवारे का वाद अबैटमेंट पर खारिज नहीं किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अबैटमेंट को सेटेसाईट करने की अवधि 60 दिन में ही था। अपीलीय न्यायालय को आदेश 22 नियम 3 व 4 सीपीसी सपठित नियम 9 के प्रावधानों पर नरम रूख अपनाते हुये आदेश करना चाहिये। तकनीकी आधार से किसी पक्ष को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा सहाायक कलेक्टर के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत तीन अपीलों में से दो अपीलों में कायम मुकाम को रिकोर्ड पर ले लिया था तो न्यायहित में इस प्रकरण में भी मृतक के वारिसों को रेकोर्ड पर लेना चाहिये। सभी पक्षकारों के अलग अलग हिस्से हाने से सम्पूर्ण अपील को अबैट करने के बजाय मृतक के हिस्से तक अपील अबैट की जा सकती थी। किंतु उनके द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र नियमों से परे खारिज किया है। अतः न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जा कर निगरानी स्वीकार की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र नियमानुसार रिव्यू का क्षेत्र अत्यंत सीमित होने के कारण खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ आलोच्य आदेश का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया । अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् मृतक के कायम मुकाम को रिकोर्ड पर लेने का 90 दिन की अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाना अंकित करते हुये आदेश दिनांक 19–8–2000 को खारिज किया है। जिसकी नजरसानी अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत होने पर नजरसानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित होना मानते हुये आदेश दिनांक 19–8–2000 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना मानते हुये नजरसानी खारिज की गई है। हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार निगरानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है तथा अभिभाषक प्रार्थी हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं कर पाये, जिससे प्रतीत होता हो कि आलोच्य आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कौनसी त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी खारिज योग्य है। परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (आर.के.जायसवाल) सदस्य	

निगरानी / टी.ए./1788/ 2003 / जोधपुर
धौकलराम जरिये का0मु0 बनाम भीमसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए